एन.आर.एल.एम. "बिहान" अंतर्गत गठित सामुदायिक संगठन

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी योजना है, इसके अंतर्गत सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास एक महत्वपूर्ण घटक है। इस घटक के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवार की महिलाओं को सर्वप्रथम स्व–सहायता समूहों के रूप में संगठित कर समूह प्रबंधन, नेतृत्व विकास, पुस्तक संधारण आदि विषयों पर प्रशिक्षित किया जाता है। इन समूहों के सशक्तिकरण एवं विकास हेतु ग्रामस्तर पर इन समूहों को पुनः ग्राम संगठन (VO) एवं संकुलस्तर पर संकुल स्तरीय संगठन (CLF) व विकासखंडस्तर पर विकासखंड स्तरीय संगठन (BLF) के रूप में संगठित किया जाता है। उपरोक्त समस्त संगठनों के क्षमतावर्धन हेतु मिशन के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इन सामुदायिक संगठनों के निरंतर विकास, क्षमतावर्धन एवं सामुदायिकरण हेतु विभिन्न प्रकार के एवं स्तर पर सामुदायिक संवर्ग यथा सक्रिय महिला, पुस्तक संधारक, सामुदायिक संसाधन व्यक्ति, ग्राम संगठन सहायिका आदि सामाजिक पूंजी तैयार किया जाता है, जिससे ये सामुदायिक संवर्ग इन्हीं समुदायों के मध्य रहकर इन संस्थाओं के विकास के लिए कार्य कर सके। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत निम्नलिखित सामुदायिक संगठनों का गठन किया जा रहा है।

1. महिला स्व–सहायता समूह
    - दिव्यांग समूह
2. ग्राम संगठन
3. संकुल स्तरीय संगठन
4. विकासखण्ड स्तरीय संगठन
5. जिला स्तरीय संगठन

1. महिला स्व–सहायता समूह :–

1.1 एक समान सामाजिक–आर्थिक स्थिति वाले ग्राम में निवासरत परिवारों की महिला सदस्य समूह की सदस्य होती है।

1.2 समूह हेतु सदस्यों का चिन्हाकन सदस्यों के द्वारा आपसी सहमति से किया जाता है।

1.3 एक समूह में 10–15 सदस्य होते हैं।

1.4 समूह के सभी सदस्य मिलकर समूह का नामकरण करते है।

1.5 समूह में कम से कम दो पदाधिकारी यथा अध्यक्ष एवं सचिव होते हैं।

1.6 खाता संधारण हेतु एक पुस्तक संचालक का चयन समूह से किया जाता है।

1.7 पदाधिकारियों का चयन समूह के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है।

1.8 समूह का गठन बैठक, बचत, उधार लेनदेन, वापसी, पुस्तक संधारण आदि गतिविधि से प्रारंभ किया जाता है।

1.9 प्रत्येक दो वर्षो में अध्यक्ष एवं सचिव का चयन सदस्यों की सहमति से पुनः चयन किया जाता है।

1.10 समूह का बैंक में बचत खाता समूह के नाम से खोला जाता है, जिसका संचालन सदस्यों की सहमति से अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाता है।

1.11 तीन माह पुराने समूह जो ग्यारहसूत्र का पालन करते है, को योजना अंतर्गत चकिय निधि के रूप में रू. 15000/– का अनुदान दिया जाता है।

1.12 प्रति छः माह में समूह का वित्तीय अंकेक्षण सामूदायिक अंकेक्षणकर्ता के द्वारा किया जाता है।

1.13 समूह से संबंधित सभी प्रकार के निर्णय, लेन–देन एवं पुस्तक संधारण बैठक के दौरान ही किया जाता है।

1.14 समूह की बैठक में केवल समूह के सदस्य ही उपस्थित होते है, बाहरी व्यक्तियों द्वारा समूह के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

2. ग्राम संगठनः–

2.1 एक ही ग्राम/ग्राम पंचायत अंतर्गत गठित कम से कम छः स्व–सहायता समूह मिलकर प्रारंभिक तौर पर ग्राम संगठन का गठन करते है।

2.2 ग्राम संगठन निर्माण कि प्रकिया चार माह उपरांत वरिष्ठ सीआरपी दल द्वारा किया जाता है, परन्तु वरिष्ठ सीआरपी दल उपलब्ध नही होने कि स्थिति में सामुदायिक संवर्ग, पीआरपी, स्टॉफ द्वारा किया जा सकता हैं। गठन उपरांत उसका सशक्तिकरण वरिष्ठ सीआरपी दल द्वारा किया जाना हैं।

2.3 ग्राम संगठन की निरंतरता हेतु इसमें स्व–सहायता समूहों की संख्या 15–20 होनी चाहिए, परन्तु एक ग्रम में 30 या उससे अधिक समूह निर्माण होने कि स्थिति (संभावनाओं को ध्यान में रखते हुये) में दो ग्रम संगठन का निर्माण किया जा सकता हैं।

2.4 यदि किसी ग्राम में छः से कम समूह बनते हैं, तो वह नजदीक/परिस्थितिनुसार के ग्राम के समूहो के साथ मिलकर ग्रम संगठन बना सकते हैं।

2.5 ग्राम संगठन में शामिल सभी समूहों के सभी सदस्य मिलकर ग्राम संगठन की सामान्य सभा/ जी.बी. कहलाते है।

2.6 ग्राम संगठन में शामिल सभी समूहों के अध्यक्ष एवं सचिव मिलकर ग्राम संगठन की कार्यकरिणी समिति/ ई.सी. कहलाते है।

2.7 ग्राम संगठन की कार्यकरिणी समिति आपस में मिलकर ग्राम संगठन के पदाधिकरीयों यथा अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं उपसचिव का चयन करते है।

2.8 ग्राम संगठन के पुस्तक संधारण एवं पदाधिकारीयों को ग्राम संगठन संचालन में सहयोग करने हेतु ग्राम संगठन में शामिल समूहों के पुस्तक संचालकों में से किसी एक का चयन ग्राम संगठन सहायिका के रूप में किया जाता है।

2.9 ग्राम संगठन की ई.सी. बैठक माह में एक बार आयोजित की जाती है, ई.सी. बैठक में सदस्य यू. आकार में बैठते है।.

2.10 ग्राम संगठन की जी. बी. बैठक त्रैमासिक/छः मासिक रूप से आयोजित की जाती है।

2.11 ग्राम संगठन को योजना के माध्यम से स्टार्ट–अप राशि रू. 35000/– अनुदान दिया जाता है।

2.12 ग्राम संगठन को योजना के माध्यम से आपदा कोष (व्ही.आर.एफ.) के रूप में रू. 1,20,000/– से 1,80,000/– का अनुदान दिया जाता है, जिसका उपयोग आपदा कोष मार्गदर्शिका/गाईडलाईन के अनुसार किया जाना है।

2.13 समूह द्वारा सदस्यता शुल्क, हिस्साधन/अंशदान जमा कर ग्राम संगठन की सदस्यता प्राप्त करते हैं।

2.14 ग्राम संगठन का नामकरण, ग्राम संगठन की सामान्य सभा के द्वारा किया जाता है।

2.15 ग्राम संगठन के नाम का बचत खाता बैंक में खोला जाता है, जिसका संचालन ग्राम संगठन के कार्यकारिणी समिति/ई.सी. द्वारा प्रस्ताव उपरांत ग्राम संगठन के 05 पदाधिकारीयों में से 03 पदाधिकारीयों यथा अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष किन्ही 02 के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाता है।

2.16 प्रत्येक ग्राम संगठन अपने दायित्वों एवं कार्य निर्वाहन हेतु तीन अनिवार्य उप–समितियों यथा (1) पर्यवेक्षण/ निगरानी उपसमिति (2) बैंक लिकेंज उपसमिति (3) सामाजिक मुद्दे उपसमिति का गठन करते है। आवश्यकतानुसार ग्राम संगठन अन्य उपसमिति का भी गठन भी कर सकते है। प्रत्येक समिति में 02 से 04 सदस्य होते है।

2.17 प्रत्येक ग्राम संगठन में दो सक्रिय महिला एवं एक ग्राम संगठन सहायिका होती हैं, जिसका मानदेय समीक्षा उपरांत ग्राम संगठन द्वारा दिया जाता हैं।

2.18 ग्राम संगठन बैठक में समूहो का मासिक प्रतिवेदन के अनुसार समीक्षा एवं ग्रेडिंग करते हैं।

2.19 ग्राम संगठन अपने से जुड़े हुए समूहों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ती हेतु संकुल स्तरीय संगठन या वित्तीय संस्थानों से संसाधन एकत्र कर समूहों की सूक्ष्म ऋण योजना के अनुसार ऋण प्रदान करता है।

2.20 ग्राम संगठन अपने से जुड़े हुए समूहों को सूक्ष्म ऋण योजना बनाने, सदस्यों के बीच मतभेद निपटाने, पुस्तक संधारण में सहयोग किये जाने, अंकेक्षण तथा अन्य सामाजिक मुद्दो हेतु सामुदायिक संवर्गो, उप–समितियों या पदाधिकारीयों के माध्यम से सहयोग प्रदान करता है।

2.21 ग्राम संगठन अपने से जुड़े हुए समूहों को सहयोग प्रदान करने के एवज में समूह की आयु एवं परिपक्वता के आधार पर सेवा शुल्क ले सकता है।

2.22 ग्राम संगठन स्तर पर प्रमुख सामुदायिक संवर्ग यथा सक्रिय महिला, ग्राम संगठन सहायिका आदि होती है।

2.23 **ग्राम संगठन को योजना के माध्यम से सामुदायिक संवर्ग के मानदेय हेतु 02 सक्रिय महिलाओं के मान से रू. 3000/– एवं 1 ग्राम संगठन सहायिका के मान से रू. 500/– प्रति माह की दर से सहयोग किया जाता है।**

3. संकुल स्तरीय संगठनः–

3.1 एक विकासखण्ड को उसके अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों की संख्या, भौगोलिक एवं क्षेत्रीय स्थिति के आधार पर 25 से 30 ग्राम पंचायतों के मान से 03 से 05 संकुलो में विभक्त किया जाता है।

3.2 एक संकुल अंतर्गत आने वाले सभी 20 से 30 ग्राम पंचायतों के ग्रामों में निवासरत ग्रामीण परिवारों को स्व–सहायता समूहों में जोड़ते हैं। तत्पश्चाम समूहों से ग्राम संगठन का गठन किया जाता है तथा लगभग 06 माह पुराने ग्राम संगठनों को आपस में मिलाकर संकुल स्तरीय संगठन का गठन प्रारंभ किया जाता है।

3.3 ग्राम संगठन प्रवेश शुल्क का भुगतान अपने लाभांश में से करता है।

3.4 संकुल स्तरीय संगठन में सदस्यता प्राप्त सभी ग्राम संगठनों के कार्यकारिणी समिति (ई.सी.) संकुल स्तरीय संगठन की सामान्य सभा (जी.बी.) कहलाते है।

3.5 संकुल स्तरीय संगठन में सदस्यता प्राप्त सभी ग्राम संगठनों के पदाधिकारी संकुल स्तरीय संगठन की कार्यकारिणी समिति (ई.सी.) कहलाते है।

3.6 संकुल स्तरीय संगठन की कार्यकारिणी समिति आपस में मिलकर संकुल स्तरीय संगठन के पदाधिकरीयों यथा अध्यक्ष, सचिव, कोषाअध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं उपसचिव का चयन करते है।

3.7 संकुल स्तरीय संगठन का निर्माण प्रारंभ में 10 ग्राम संगठनों से किया जा सकता हैं।

3.8 संकुल स्तरीय संगठन के पुस्तक संधारण एवं पदाधिकारीयों को संकुल स्तरीय संगठन संचालन में सहयोग हेतु इसमें शामिल ग्राम संगठनों के सहायकों में से किसी एक का चयन संकुल स्तरीय संगठन के लेखापाल के रूप में किया जाता है।

3.9 संकुल स्तरीय संगठन की ई.सी. बैठक माह में एक बार आयोजित की जाती है, ई.सी. बैठक में सदस्य यू. आकार में बैठते है।

3.10 संकुल स्तरीय संगठन की जी.बी. बैठक त्रैमासिक रूप से आयोजित की जाती है।

3.11 संकुल स्तरीय संगठन को योजना के माध्यम से स्टार्टअप राशि रू. 02 लाख अनुदान दिया जाता है।

3.12 संकुल स्तरीय संगठन को योजना के माध्यम से सी.आई.एफ. के रूप में लगभग रू. 1 करोड़ से 1.5 करोड़ का अनुदान दिया जाता है। हालाकि यह राशि संकुल स्तरीय संगठन अंतर्गत आने वाले समूहों से जुड़े हुए परिवारों की संख्या, जातिगत वर्गीकरण, समुदाय विशेष आदि पर निर्भर करता है।

3.13 संकुल स्तरीय संगठन सी.आई.एफ. राशि का उपयोग ग्राम संगठन की अनुशंषा के आधार पर स्व–सहायता समूहों को, उससे जुड़े हुए सदस्यों की ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिये करता है।

3.14 संकुल स्तरीय संगठन में ग्राम संगठन सदस्यता शुल्क का भुगतान कर सदस्यता ले सकता है।

3.15 ग्राम संगठन द्वारा संकुल स्तरीय संगठन को दिया जाने वाला अंशदान ग्राम संगठन अपने लाभांश में से जमा करता है।

3.16 यदि कोई ग्राम संगठन अपनी सदस्यता वापस लेना चाहे तो वह संकुल स्तरीय संगठन से अपना हिस्साधन/अंशदान ले सकता हैं।

3.17 संकुल स्तरीय संगठन का नामकरण, संगठन की सामान्य सभा के द्वारा किया जाता है।

3.18 संकुल स्तरीय संगठन के नाम का बचत खाता बैंक में खोला जाता है, जिसका संचालन संगठन के ई.सी. द्वारा प्रस्ताव उपरांत संगठन के 05 पदाधिकारीयों में से 03 पदाधिकरीयों यथा अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष किन्ही 02 के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाता है।

3.19 संकुल स्तरीय संगठन अपने दायित्वों एवं कार्य निर्वाहन हेतु कार्यकारिणी समिति/ई. सी. में से अनिवार्य रूप से तीन उपसमितियों यथा पर्यवेक्षण/निगरानी उपसमिति, बैंक लिंकेज उपसमिति, सामाजिक मुददे/कार्य उपसमितिय का गठन करते हैं एवं आवश्यकतानुसार अन्य उपसमितियो का गठन करते हैं। प्रत्येक उपसमिति में आवश्यकतानुसार 02 से 04 सदस्य होते है।

3.20 संकुल स्तरीय संगठन स्तर पर प्रमुख सामुदायिक संवर्ग, संसाधन पुस्तक संचालक, एम. सी.पी–मास्टर ट्रेनर, एफएलसीआरपी, लेखापाल, आदि होती है। समीक्षा उपरांत संबंधितो को मानदेय संकुल स्तरीय संगठन द्वारा प्रदाय किया जाता हैं।

4. **विकासखण्ड़ स्तरीय संगठनः**– उपरोक्तानुसार विकासखण्ड़ अंतर्गत आने वाले संकुल स्तरीय संगठन मिलकर विकासखण्ड़ स्तरीय संगठन का निर्माण करते हैं।

5. **जिला स्तरीय संगठनः**– उपरोक्तानुसार जिला अंतर्गत आने वाले कम से कम चार विकासखण्ड़ स्तरीय संगठन मिलकर जिला स्तरीय संगठन का निर्माण करते हैं। जिन जिलो में तीन या तीन से कम विकासखण्ड़ होगें उन जिलो में विकासखण्ड़ स्तरीय संगठन का गठन नही करके सीधे जिला स्तरीय संगठन का निर्माण किया जाना हैं।